मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

cmc

क्रमांक 839/1034/2020/ए-16
प्रति,

भोपाल,दिनांक 25.09.2020

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीयन आधार अधिप्रमाणन से छूट बावत।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का आदेश क्रमांक 321/पीएस/लेबर/2020 दिनांक 24.05.2020 तथा आदेश क्रमांक एफ 28-02-2019/ए 16 दिनांक 04.06.2019

::00::

संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। कोविड महामारी में मध्यप्रदेश के मूलनिवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, बडी संख्या में मध्यप्रदेश वापस आये हैं। 1 मार्च 2020 अथवा उसके उपरांत मध्यप्रदेश में लौटे प्रवासी श्रमिकों का (जो मध्यप्रदेश के मूलनिवासी है), सर्वे सत्यापन तथा पंजीयन अभियान 27 मई 2020 से 3 जून 2020 के मध्य चलाया गया था तथा पुनः राज्य शासन के आदेश क्रमांक 698/893/2020/ए 16 दिनांक 31.08.2020 द्वारा सर्वे सत्यापन का कार्य 1 सितम्बर 2020 से 20 सितम्बर 2020 के मध्य किया गया है। उक्त अभियान में सर्वे के दौरान संनिर्माण कर्मकार तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीयन हेतु पात्रता रखने वाले प्रवासी श्रमिक भी चिन्हांकित हुये हैं, किंतु ई-केवाईसी (आधार अधिप्रमाणन) की बाध्यता के कारण सभी चिन्हांकित श्रमिकों का पंजीयन नहीं हो पाया है।

2. ऐसे पात्र प्रवासी श्रमिक जो मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीयन हेतु चिन्हांकित हुये हैं, किंतु उनका पंजीयन नहीं हो पाया है उन छूटे हुये प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई-केवाईसी (आधार अधिप्रमाणन) से छूट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत विहित प्राधिकारी इन प्रवासी चिन्हांकित पात्र श्रमिकों का पंजीयन हेतु पात्रता बावत समस्त तथ्यों का सत्यापन करते हुये, बिना ई-केवाईसी (आधार अधिप्रमाणन) स्वघोषणा के आधार पर पंजीयन की कार्यवाही करेंगे।

3. राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन हेतु चिन्हांकित प्रवासी श्रमिकों तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखने वाले अन्य सभी श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही 2 अक्टूबर 2020 से 2 जनवरी 2021 के मध्य अभियान के रूप में मिशन मोड में की जायेगी। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीयन की कार्यवाही में संदर्भित आदेशों में उल्लेखित ई-केवाईसी (आधार अधिप्रमाणन) संबंधी निर्देशों से छूट रहेगी। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी विस्तृत निर्देश राज्य शासन द्वारा पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

(छोटे सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

निरंतर.....2

क्रमांक ४५०/1034/2020/ए-16 भोपाल,दिनांक 25.09.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाने हेतु।
5. श्रमायुक्त, म.प्र. इन्दौर।
6. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सचिव, म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री सुनील जैन, सीनियर टेनिकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., विध्यांचल भवन, भोपाल की ओर पोर्टल पर आवश्यक सुधार हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग